भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *237
उत्तर देने की तारीख : 16.12.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

***237. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित 106 छात्रों में से केवल 44 छात्रों को ही उनके अवार्ड पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चयनित 66 छात्रों को अवार्ड पत्र जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत ग्यारह वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत तमिलनाडु और अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/डीएनटी के राज्य-वार और वर्ष-वार कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई है और विगत ग्यारह वर्षों के दौरान राज्य-वार और तमिलनाडु में वर्ष-वार प्रति छात्र औसतन कितनी छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/डीएनटी के छात्रों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता और पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/डीएनटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति स्कीम" के संबंध में माननीया संसद सदस्य श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237, जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम अनुसूचित जातियों (एससी), विमुक्त घुमंतू जनजातियों (डीएनटी), अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एसएनटी), भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों के लिए और जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कार्यान्वित करता है।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम (एनओएस) के तहत चयन वर्ष 2025-26 के पहले दौर में चयनित सभी 106 उम्मीदवारों को अनंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं। इन 106 उम्मीदवारों में से 67 उम्मीदवारों को अंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं और 13 उम्मीदवारों ने अगली बार शामिल करने के लिए आस्थगन लिया है। इसके अलावा, 23 उम्मीदवारों ने छात्रवृत्ति से स्वयं को वापस कर लिया है और 3 उम्मीदवारों के अवार्ड योजना के तहत विहित वार्षिक पारिवारिक आय की ऊपरी सीमा से अधिक होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं।

(ग): पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त घुमंतू जनजाति/अर्ध-घुमंतू जनजाति आदि और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: **संलग्नक-I** और **II** पर दिए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजना के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु अधिवास वाले छात्रों सहित आबंटित, संवितरित कुल निधियां क्रमश: **संलग्नक-III, IV** में दी गई हैं। अनुसूचित जाति आदि और अनुसूचित जनजाति छात्रों वाली योजनाओं में पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान प्रति छात्र उपलब्ध छात्रवृत्ति राशि **संलग्नक-V** में दी गई है। तमिलनाडु अधिवास वाले छात्रों पर उपगत औसत व्यय 0.73 करोड़ रुपये है। प्रति छात्र उपगत व्यय में देश, विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम के हिसाब से अंतर हो सकता है।

(ङ): इस योजना के अंतर्गत निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अनुमान (आरई) में अतिरिक्त निधियां आबंटित की जाती हैं और निधियां अन्य योजनाओं/उप-योजनाओं से पुनर्विनियोजित की जाती हैं।

छात्रों के बीच राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के समाज कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र भेजे जाते हैं।

संलग्नक-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237, जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

विगत 11 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	3	1	1	2	0	4	0	0	3	3	17
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	असम	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
5	बिहार	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	2	7
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	2	2	3	8	2	5	3	2	4	8	7	46
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	0	2	0	2	0	1	4	8	6	12	35
12	हरियाणा	0	0	1	0	4	1	3	7	2	3	1	22
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0		0	0	1	0	2
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	5
15	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16	कर्नाटक	0	1	0	2	2	2	4	1	5	1	0	18
17	केरल	0	0	2	1	0	1	4	4	3	3	4	22
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	0	4	4	4	5	3	6	1	4	5	37
21	महाराष्ट्र	4	3	17	28	20	20	28	43	56	68	11	298

22	मणिपुर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	2	1	0	1	1	1	2	2	0	0	0	10
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
28	पंजाब	0	3	2	4	2	0	1	4	5	1	6	28
29	राजस्थान	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	6
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1	1	2	1	3	2	5	7	3	4	4	33
32	तेलंगाना	0	0	1	1	1	1	3	2	1	1	4	15
33	त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
36	उत्तर प्रदेश	3	3	4	10	0	1	2	9	7	6	9	54
35	उत्तराखंड	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	6
36	पश्चिम बंगाल	3	1	0	2	2	1	5	2	1	0	4	21
	कुल	**20**	**20**	**46**	**64**	**45**	**41**	**71**	**98**	**98**	**114**	**79**	**696**

संलग्नक-II

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237, जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

विगत 11 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4
4	असम	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	8
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छतीसगढ़	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
11	गुजरात	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
12	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	6
15	झारखंड	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	6
16	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	केरल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	लद्दाख	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
21	महाराष्ट्र	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	5

22	मणिपुर	0	2	0	3	3	4	5	6	5	3	4	35
23	मेघालय	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
24	मिजोरम	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1	7
25	नागालैंड	2	1	2	1	1	0	0	2	0	1	3	13
26	ओडिशा	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	राजस्थान	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	तेलंगाना	1	3	1	1	1	1	2	1	3	5	1	20
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
36	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
	कुल	**12**	**9**	**9**	**12**	**11**	**11**	**12**	**17**	**18**	**16**	**11**	**138**

संलग्नक-III

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237, जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले 11 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित अनुसूचित जाति आदि के लिए एनओएस के तहत संवितरित कुल निधियां

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित निधियां	संवितरित निधियां	तमिलनाडु अधिवास वाले छात्रों को संवितरित निधियां
1	2014-15	6	8.78	1.00
2	2015-16	6.12	13.45	0.32
3	2016-17	15	14.02	1.96
4	2017-18	15	4.59	0.36
5	2018-19	15	5.97	1.72
6	2019-20	20	28.56	0.81
7	2020-21	30	32.92	6.04
8	2021-22	35	49.07	4.96
9	2022-23	50	86.59	1.04
10	2023-24	85	88.56	3.40
11	2024-25	95	74.17	2.37
कुल		**372.12**	**406.68**	**23.98**

संलग्नक-IV

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237 जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले 11 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनओएस के तहत कुल आवंटित और संवितरित निधियां

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित निधियां	संवितरित निधियां	तमिलनाडु अधिवास वाले छात्रों को संवितरित निधियां
1	2014-15	1.00	1.00	0.00
2	2015-16	0.72	0.39	0.00
3	2016-17	0.39	0.39	0.00
4	2017-18	1.00	1.00	0.00
5	2018-19	2.00	2.00	0.00
6	2019-20	2.00	2.00	0.00
7	2020-21	4.76	4.76	0.00
8	2021-22	4.95	4.95	0.00
9	2022-23	4.00	4.00	0.00
10	2023-24	7.00	7.00	सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विदेश मंत्रालय द्वारा सभी छात्रों के समेकित बिल/वाउचर इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।
11	2024-25	6.00	6.00	0.00
कुल		**33.82**	**33.49**	

संलग्नक-V

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 237 जिसका उत्तर 16.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम के तहत प्रति छात्र उपलब्ध निधियां

		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
क्र.सं.	सहायता का प्रकार	संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूके को छोड़कर अन्य देश	यूनाइटेड किंगडम (यूके)	संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूके को छोड़कर अन्य देश	यूनाइटेड किंगडम (यूके)
1.	वार्षिक रखरखाव भत्ता	15400 यूएस डॉलर	9900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	15400 यूएस डॉलर	9900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
2.	वार्षिक आकस्मिकता भत्ता	1500 यूएस डॉलर	1100 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड	1532 यूएस डॉलर	1116 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
3.	ट्यूशन फीस	संस्थान द्वारा यथा-प्रभारित वास्तविक धनराशि		संस्थान द्वारा यथा - प्रभारित वास्तविक धनराशि	
4.	वीजा शुल्क	यथा-प्रभारित वास्तविक धनराशि (भारतीय रुपये में)		यथा-प्रभारित वास्तविक धनराशि (भारतीय रुपये में)	
5.	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	वास्तविक यथा-प्रभारित धनराशि		वास्तविक यथा-प्रभारित धनराशि	
6.	आकस्मिक यात्रा भत्ता एवं उपकरण भत्ता	प्रत्येक के लिए 20 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में इसका समतुल्य		प्रत्येक के लिए 20 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में इसका समतुल्य	
7.	वायु मार्ग	इकोनॉमी क्लास में लघुतम मार्ग से आने-जाने की यात्रा		इकोनॉमी क्लास में लघुतम मार्ग से आने-जाने की यात्रा	

******